-SUMMARY-

परियोजना का नाम – Suggesting Mechanisms for Sustainable Management of Biodiversity and Access and Benefit sharing mechanism in the state of Madhya Pradesh.

कार्यकारी संस्था – भारतीय वन प्रबंध संस्थान, भोपाल

परियोजना के उद्देश्य –

The specific objectives of study is to provide technical support to the Madhya Pradesh State Biodiversity Board for the following three tasks:-

1. **Levy charges, in addition to ABS, under section 41(3) of the Biological Diversity Act, 2002**
2. **A mechanism for certification of Compliance to ABS by the Traders & Manufacturers as a means to motivation; and**
3. **A mechanism for sustainable Forest Management of the Forest based BMCs (also JFMCs).**

परियोजना का विवरण –

परियोजना के उपरोक्त उद्देश्यों के क्रम में भारतीय वन प्रबंध संस्थान के अनुसंधान दल द्वारा जैव विविधता विनियमों का विस्तृत अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत संस्थान द्वारा देश में विनियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा, देश भर में फीस के संग्रहण के उदाहरणों की खोज, विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन योजनाओं और प्रचलित मानकों का विश्लेषण एवं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट डेटा संग्रह के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया गया। भारतीय वन प्रबंध संस्थान दल द्वारा मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ और उत्तरप्रदेश राज्यों में पूर्व में किये गये गैर–काष्ठ वन उत्पाद (Non-Timber Forest Products) से संबंधित प्रमाणन मानकों के विकास के अध्ययन और अनुभवों का भी संदर्भ लिया गया। प्राथमिक अनुसंधान के रूप में दल के द्वारा विभिन्न हितधारकों एवं विशेषज्ञ समूह के साथ बैठकों का आयोजन किया जिसमें उनके द्वारा 11 से अधिक जैवविविधता प्रबंधन समितियों एवं रेहटी जिला सीहोर, म.प्र. में स्थित लघु वनोपज प्रसंस्करण केन्द्र का दौरा किया एवं द्वितीयक अनुसंधान से प्राप्त निष्कर्षों को रिपोर्ट में संकलित किया गया।

परियोजना के निष्कर्ष –

परियोजना के संदर्भ उपलब्ध जानकारी की समीक्षा, प्राथमिक सर्वेक्षण और विशेषज्ञ समूहों से प्राप्त सुझावों के अधार पर भारतीय वन प्रबंध संस्थान द्वारा परियोजना के उद्देश्यों में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है–

उद्देश्य–1 : जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 41(3) के प्रावधान अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड लाभ प्रभाजन राशि के अलावा जैव विविधता प्रबंधन समितियों को खरीद मूल्य के 0.5 प्रतिशत से 1 प्रतिशत के बीच संग्रहण शुल्क लेने के सुझाव पर विचार कर सकता है एवं मूल्य–श्रृंखला के आधार पर एवं हितग्राहकों की प्रतिक्रिया एवं आवश्यकतानुसार इसे संशोधित किया जा सकता है इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया कि जैवविविधता प्रबंधन समितियों को केवल उन जैवसंसाधनों के लिये संग्रहण शुल्क तय करने की सलाह दी जा सकती है, जिनकी उन क्षेत्रों में उचित उपलब्धता और स्थापित बाजार है।

उद्देश्य–2 : जैवविविधता अधिनियम, 2002 एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के प्रावधान अंतर्गत प्रदेश में स्थित ऐसे व्यापारी और विनिर्माता जो इन प्रावधानों का अनुपालन कर प्रक्रियानुसार पंजीयन एवं लाभ प्रभाजन राशि जमा करा कर व्यापार कर रहे हैं ऐसे व्यापारियों और विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करने हेतु प्रमाणन व्यवस्था का एक मसौदा विकसित किया है, जिसके अंतर्गत जैव संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने वाले लोगों को यह प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को चरणबद्ध रूप से भारतीय वन प्रबंध संस्थान द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में Scheme Executive Agency (SEA), Certification Body, Certification Standard Certification Procedure, Application for certificate, Grant of Certification के माध्यम से विस्तार से समझाया गया है।

उद्देश्य–3 : मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 23 (2) में संशोधन द्वारा गठित प्रत्येक संयुक्त वन प्रबंधन समितियों सह जैवविविधता प्रबंधन समितियों के लिए वन आधारित जैवसंसाधनों के संवहनीय प्रबंधन की योजना प्रत्येक वर्ष तैयार करने की आवश्यकता है। यह दस्तावेज उनके संबंधित क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन जैव संसाधनों के संवहनीय प्रबंधन और उनके स्थायी उपयोग, संरक्षण और उचित लाभ साझा करने के लिए एक संदर्भ के रूप में कार्य करेगा। संस्थान द्वारा अंतिम रिपोर्ट में इस प्रकार के संवहनीय प्रबंधन के अंतर्गत बनाई जाने वाली योजना की संरचना समितियों के अधिकार क्षेत्र एवं वन क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधन, बाजार संरचना और जैव संसाधनों की मूल्य श्रृंखला, अभिलेखों का दस्तावेजीकरण एवं जैवसंसाधनों के संवहनीय उपयोग विभिन्न अवयवों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिससे वन आधारित जैव संसाधनों हेतु संवहनीय वन प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।

Grass harvested from plantation area in Sheopur

Processing of Bel in upper Chhapri, Sheopur Kalan

Community and BMC members, Ranjhi at Bhatna

Community and BMC members at Sonwani